AMU को गृहकर बकाया के लिये अल्टीमेटम प्राप्त हुआ

चर्चा में क्यों?

अलीगढ़ नगर निगम (AMC) ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर **24.4 करोड़ रुपए के** बकाया **गृहकर का** भुगतान करने की मांग की है।

मुख्य बिंदु

- AMC ने भुगतान में विलंब होने पर **उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के** तहत कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।
- AMC के अनुसार, **बकाया राशि** विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली **40 संपत्तियों** से संबंधित है।
    - 22 संपत्तियों के लिये कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, जबकि 18 संपत्तियों के लिये **24.4 करोड़ रुपए** का कर भुगतान **लंबित** था।
- AMC के राजस्व मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, बकाया राशि 2017 से लंबित है।
- AMU ने समय पर भुगतान करने के लिये UGC से अनुदान के लिये आवेदन किया था।
    - एक **प्रावधान है जो** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) **को ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति करने** की अनुमति प्रदान करता है और विश्वविद्यालय इस संबंध में आयोग के साथ संपर्क में है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- **यह 28 दिसंबर, 1953** को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में **शिक्षण, परीक्षा** और **अनुसंधान के मानकों** के **समन्वय, निर्धारण और रखरखाव** के लिये **1956** में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक **वैधानिक निकाय बन गया।**
    - **यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, मानद विश्वविद्यालयों** और **दूरस्थ शिक्षा संस्थानों** की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।
- **UGC** का मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/amu-receives-ultimatum-for-house-tax-dues